"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 569] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 27 दिसम्बर 2013 — पौष 6, शक 1935

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 2-254/दो-गृह/रापुसे/2006. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतदद्वारा, छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2006 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

नियम 11 के उप-नियम (7) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"(8) ऐसे स्थायी रिक्त पद जो अस्थायी आधार पर भरा गया हो और ऐसे रिक्त पद, जिनके स्थायी किये जाने की संभावना हो या जिनके 03 माह या उससे अधिक तक रिक्त बने रहने की संभावना हो, को समाविष्ट करते हुए, किसी भी वर्ष में सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले प्रत्येक तृतीय श्रेणी सेवा में ऐसे पदों का तथा तृतीय श्रेणी पदों के प्रत्येक प्रवर्ग में रिक्तियों का 10 प्रतिशत और प्रत्येक चतुर्थ श्रेणी सेवा से ऐसे पदों का तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों के प्रत्येक प्रवर्ग में रिक्तियों का 20 प्रतिशत, भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित होगा, यह आरक्षण समस्तर एवं प्रभागवार होगा."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. माथुर, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2013

क्रमांक एफ 2-254/दो -गृह/रापुसे/2006 .— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 27-12-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. माथुर, उप-सचिव.

Raipur, the 27th December 2013

NOTIFICATION

No. F 2-254/2-Home/S.P.S./2006 .— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Police Executive (Non-Gazetted) Service Recruitment Rules, 2006, namely :-

AMENDMENT

In the Said Rules, -

After Sub-Rule (7) of Rule 11, the following shall be added, namely :-

"(8) Such permanent vacant posts which have been filled on temporary basis and such vacant posts, which are possible to be made permanent or which are remained to be vacant for 3 months or more, by incorporating those, there shall be reserved 10% of such posts in every Class-III service and vacancies in every category of Class-III posts to be filled by direct recruitment in any year and 20% of such posts in every Class-IV service and Vacancies in every category of Class-IV posts for ex-servicemen, this reservation shall be horizontal and compartment-wise."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
D. K. MATHUR, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2013.